संख्या-10/2017/1246/छप्पन-2016-84/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनॉक : 25 जनवरी, 2017

विषयः नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में सृजित सहायक अभियन्ता के एक अस्थायी नि:संवर्गीय पद की निरन्तरता की कार्योत्तर स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या-235/छप्पन-2008-12/03, दिनांक 27 फरवरी, 2008 द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत अनुरक्षण उप इकाई के मैकेनिक/तकनीशियन के एक पद को आस्थगित रखते हुए सहायक अभियन्ता का एक अस्थायी नि:संवर्गीय पद वेतनमान 8000-13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे-बैण्ड-3) के अन्तर्गत वेतनमान 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400) में दिनांक 22 मार्च, 2003 से दिनांक 28 फरवरी, 2009 तक के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2008 में उल्लिखित शर्तों के अधीन सृजित किया गया था। साथ ही इस पद पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उ0प्र0 के अनुरक्षण उप इकाई के तकनीशियन के पद पर कार्यरत मो0 इमरान खान को अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति में नियुक्ति प्रदान की गयी। उक्त पद मो0 इमरान खान के दिनांक 31.7.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हो गया है।

2- उल्लखनीय है कि उक्त पद की निरन्तरता वर्षानुवर्ष नागरिक उड्डयन विभाग के स्तर से निर्गत की जाती रही है, जो अस्थायी/नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02.12.1998 एवं शासनादेश संख्या- ए-2-1840/दस-2001-24(8)/92, दिनांक 27.9.2001 द्वारा विहित निर्देशों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त नहीं है। अत: दिनांक 01.03.2009 से दिनांक 31.7.2014 तक प्रश्नगत पद की निरन्तरता की कार्योत्तर स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त पद धारक को मँहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते समय-समय पर शासन द्वारा अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष 2009-10 से दिनांक 31.07.2014 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय " के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या- ई-7-23/दस-2017, दिनांक 17.01.2017 के द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव ।

संख्या-10/2017/1246(1)/छप्पन-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग1/2
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली के लिये (नागरिक उड्डयन निदेशालय को अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।